राजस्थान–सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर–302016

क्रमांक :– एफ.93/पार्ट–3/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2021/430–475 दिनांक 16.06.2022

दिशा–निर्देश

विषयः– एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 के माध्यम से राज्य बीमा पॉलिसी बॉण्ड ऑनलाईन जारी करने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर जोखिम तिथि 01.04.2022 व इससे पूर्व की जोखित तिथि के प्रथम घोषणा पत्र ऑनलाईन सबमिट हुए है। उक्त प्रथम घोषणा पत्रों में, जिनमें प्रथम घोषणा पत्र में प्रस्तावित प्रीमियम एवं मार्च देय अप्रेल 2022 के वेतन से प्राप्त प्रीमियम मैच हो गये है तथा कार्मिक ने 5 उल्लेखित बीमारियों में से काई बीमारी का चयन नहीं किया है, उन सभी के प्रथम घोषणा पत्र सिस्टम द्वारा ऑटो अप्रूव हो चुके है। ऑटो अप्रूव किये गये सभी प्रथम घोषणा पत्रों के डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त राज्य बीमा पॉलिसी बॉण्ड बीमेदार के डेशबॉर्ड में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त मार्च, 2022 के पूर्व के वर्षों, Unverified Application तथा Disease Application मेनूअल अप्रूवल के लिये यूनिट हेड के लॉगिन में SI > Ploicy Generation में उपलब्ध है। Unverified Application तथा Disease Application के लिये राज्य कार्मिकों को एसएमएस के द्वारा सूचित किया गया है, जिसमें सम्बन्धित विभागीय जिला कार्यालय में सम्पर्क करने के लिए कहा गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है–

A. Disease Application

इस प्रकार की एप्लीकेशन में दो प्रकार की सम्भावनाओं के आधार पर की जाने वाली कार्यवाहीः–

1. यदि कार्मिक ने गलती से कोई बीमारी का चयन कर दिया हो तो कार्मिक के स्वयं के लॉगिन में First/Further Declaration में First Declaration को Edit Mode में खोलते हुए बीमारी में 'NO' सलेक्ट करवायें एवं कार्मिक के आधार ओटीपी से वेरिफाई करवाने के पश्चात प्रीमियम इत्यादि का मिलान करके मेनूअल अप्रूवल करके राज्य बीमा पॉलिसी बॉण्ड जारी करे।
2. यदि कार्मिक वास्तव में उल्लेखित 5 बीमारियों में से ग्रसित है तो उनको पॉलिसी जारी नहीं की जावें। इस प्रकार के प्रथम घोषणा पत्र के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश बीमा योजना प्रभारी स्तर से जारी किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों पर अभी कोई कार्यवाही नहीं करें।

B. Unverified Application

इस प्रकार की एप्लीकेशन में प्रथम घोषणा पत्र में उल्लेखित प्रीमियम और लेजर में मार्च देय अप्रेल के फिल्ड में प्रदर्शित प्रीमियम मेच नहीं कर रहा है। इसलिये इस प्रकार के प्रकरणों में लेजर में जांच करें कि मार्च का प्रीमियम क्या फिक्सेशन एरियर के द्वारा प्राप्त हो रहा है अथवा बीमेदार का पहला प्रीमियम मार्च देय अप्रेल के वेतन से तो कट गया है, परन्तु किसी कारणवश वह लेजर में प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार के प्रकरणों में Update Ledger या GA-55 के आधार पर कटौती की जांच करके बीमा के नियमानुसार पॉलिसी अप्रूव करें।

C. Rejected Application

ये इस प्रकार के प्रकरण है, जिनमें कार्मिक ने मार्च 2022 के अनुसार प्रथम घोषणा पत्र भर दिया है, परन्तु उनकी कटौतियों मार्च 2022 के पूर्ववती महिनों से ही प्राप्त हो रही है। यदि ऐसे प्रकरणों में पॉलिसी पूर्ववर्ती वर्षों अथवा मार्च 2022 में जारी की जानी है तो कार्मिक से प्रथम घोषणा पत्र पुनः भरवा लेवें। प्रथम घोषणा पत्र यूनिट हेड की Unverified Application की लिस्ट में आ जायेगा, जिसको मेनूअल अप्रूव करें।

अतः विभागीया जिला कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(योगमित्र दिनकर)
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स

क्रमांक :– एफ.93 / पार्ट–3 / कम्प / ऑनलाईन प्रोसेस / 2021 / 430–475 दिनांक 16.06.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर ।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, बीमा, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार Disease Application के बिन्दु संख्या 2 के क्रम में दिशा–निर्देश जारी करवाने का श्रम करावें।
3. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
4. सहायक / उप / संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स